

एक राष्ट्र, एक चुनाव : विकसित भारत में एक अहम भूमिका

निशा मौर्या¹

¹शोध छात्रा, प्रो.राजेन्द्र सिंह (रज्जु भैया) विश्वविद्यालय, प्रयागराज उ०प्र०

Received: 20 Feb 2026 Accepted & Reviewed: 25 Feb 2026, Published: 28 Feb 2026

Abstract

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है। जहां हर नागरिक की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता का ध्यान रखा जाता है। निर्वाचन प्रक्रिया लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया एवं जनप्रतिनिधियों को चुनने का एक शांतिपूर्ण और कुशल तरीका है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। चुनाव के माध्यम से जनता विधायिका के विभिन्न पदों पर आसीन होने के लिये प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता के हितों की पूर्ति हेतु अपनी भूमिका निभाते हैं। चुनाव के द्वारा क्षेत्रीय एवं स्थानीय निकायों के लिये भी प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। एक राष्ट्र एक चुनाव का तात्पर्य है सम्पूर्ण भारत में एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को सम्पन्न कराना। इस व्यवस्था से न केवल समय, धन और संसाधनों की बचत होगी, बल्कि शासन-प्रशासन की जवाबदेहिता में निरंतरता भी बनी रहेगी। इसका उद्देश्य देश में हो रहे बार-बार चुनावों से होने वाले प्रशासनिक व्यवधानों को रोकना एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। विकसित भारत भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, जिसका लक्ष्य 2047 तक भारत की स्वतंत्रता के 100वें वर्ष पर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। इसमें आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन जैसे कई पहलू शामिल किए गए हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव भारत को विकसित भारत बनाने के लिए भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश के सभी नागरिकों एवं विशेषतः युवाओं को इस प्रक्रिया में शामिल करने पर विशेष जोर दिया गया है। यह शोधपत्र इस विषय के विभिन्न पहलुओं जैसे आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण करता है, और यह दर्शाता है कि विकसित भारत के निर्माण में एक राष्ट्र एक चुनाव की यह नीति किस प्रकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

मुख्य शब्द: एक राष्ट्र एक चुनाव , विकसित भारत , निर्वाचन प्रणाली, जनप्रतिनिधि, लोकसभा , राज्य विधानसभा

Introduction

वर्तमान समय में भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव अलग-अलग समय पर कराए जाते हैं। इस कारण देश में लगभग हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनावी प्रक्रिया चलती रहती है। इसका प्रभाव विकास योजनाओं, नीति-निर्माण और सरकारी खर्चों पर पड़ता है। हर चुनाव के समय आचार संहिता लागू हो जाती है जिसके चलते अन्य विकास कार्यों को स्थगित करना पड़ता है। यह स्थिति शासन व्यवस्था की निरंतरता और विकास की गति में बाधक बनती है। भारत विविधताओं से भरा देश है जहां भाषाई, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जुड़ी विविधताएं इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। ऐसी स्थिति में चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र की आत्मा के समान है, जो नागरिकों को उनके अधिकारों से अवगत

कराती है। आज भारत विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि शासन व्यवस्था में स्थिरता, पारदर्शिता और संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित हो। एक राष्ट्र एक चुनाव इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हो सकती है। यह अवधारणा किसी राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि सुशासन और विकसित भारत की दिशा में एक सामूहिक सोच का परिणाम है। यह पहल बार बार होने वाले चुनावों से उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त कर सकती है और शासन को अधिक परिणामकारी बना सकती है। इन्हीं परिस्थितियों में एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा सामने आई है जिसका मूल उद्देश्य है कि पूरे देश में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएँ। एक राष्ट्र, एक चुनाव की नीति इस स्थिति को बदलने का प्रयास है ताकि देश में स्थायित्व, गति और विकास के लिए एक समान चुनाव प्रणाली लागू की जा सके। यह शोध पत्र इसी विचार की पृष्ठभूमि इसकी आवश्यकता ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, लाभ, चुनौतियाँ और विकसित भारत में इसकी संभावित भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डालता है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य— वर्तमान समय में भारत में एक राष्ट्र, एक चुनाव की पहल नई नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब भारत में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव हुए तब स्वाभाविक रूप से लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए गए थे। जो की इस प्रकार हैं—

1952 में भारत के इतिहास का पहला आम चुनाव आयोजित किया गया। इस समय लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए गए थे। कुछ राज्य विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण 1968 और 1969 में एक साथ चुनाव कराने में बाधा आई थी। 1968 में केरल और हरियाणा जैसे राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता के कारण विधानसभा भंग कर दी गई। कुछ राज्यों में सरकारें समय से पहले गिरने लगीं थी। जिसके कारण राज्यों में चुनाव समय से पहले कराए गए और परिणामस्वरूप लोकसभा तथा विधानसभाओं के चुनावों का समन्वय टूट गया।

1971 के बाद भारत में अलग-अलग समय पर चुनाव होने लगे। हालांकि आपातकाल की घोषणा के कारण पांचवीं लोकसभा का कार्यकाल अनुच्छेद 352 के तहत 1977 तक बढ़ा दिया गया था। अब लगभग हर वर्ष देश के किसी न किसी हिस्से में विधानसभा चुनाव होते हैं जिस कारण यह व्यवस्था "लगातार चुनावों का चक्र" बन गई है।

1999 में विधि आयोग द्वारा **170वीं** रिपोर्ट में सुझाव दिया कि भारत में एक साथ चुनाव कराए जाने की व्यवस्था को फिर से लागू करने की दिशा में विचार किया जाना चाहिए।

2023-2024 में भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। यह समिति संवैधानिक संशोधनों और व्यावहारिक पहलुओं पर सुझाव देने के लिए गठित की गई है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य विधानसभाओं को भी इसी तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा है। विधानसभाओं को समय से पहले भंग किया जाना और कार्यकाल विस्तार बार-बार आने वाली चुनौतियां बन गए हैं। इन घटनाक्रमों ने देश में एक साथ चुनाव के चक्र को अत्यधिक बाधित किया जिसके परिणामस्वरूप देश भर में चुनावी कार्यक्रमों में बदलाव का मौजूदा स्वरूप सामने आया है।

विभिन्न लोक सभाओं की प्रमुख उपलब्धियों की समय-सीमा:-

Lok Sabha	Last date of poll	Date of constitution of Lok Sabha	Date of first sitting	Date of expiration of term (Article 83(2) of Constitution)	Date of dissolution of Lok Sabha	Overall Term (in days) (Col 6 - Col 4)	Overall Term (approx)
1	2	3	4	5	6	7	8
First	21-Feb-52	2-Apr-52	13-May-52	12-May-57	4-Apr-57	1787	5 years
Second	15-Mar-57	5-Apr-57	10-May-57	9-May-62	31-Mar-62	1786	5 years
Third	25-Feb-62	2-Apr-62	16-Apr-62	15-Apr-67	3-Mar-67	1782	5 years
Fourth	21-Feb-67	4-Mar-67	16-Mar-67	15-Mar-72	27-Dec-70	1382*	3 years & 10 months
Fifth	10-Mar-71	15-Mar-71	19-Mar-71	18-Mar-77	18-Jan-77	2132**	5 years & 10 months
Sixth	20-Mar-77	23-Mar-77	25-Mar-77	24-Mar-82	22-Aug-79	880*	2 years & 5 months
Seventh	6-Jan-80	10-Jan-80	21-Jan-80	20-Jan-85	31-Dec-84	1806	5 years
Eighth	28-Dec-84	31-Dec-84	15-Jan-85	14-Jan-90	27-Nov-89	1777	5 years
Ninth	26-Nov-89	2-Dec-89	18-Dec-89	17-Dec-94	13-Mar-91	450*	1 year & 3 months
Tenth	15-Jun-91	20-Jun-91	9-Jul-91	8-Jul-96	10-May-96	1767	5 years
Eleventh	7-May-96	15-May-96	22-May-96	21-May-01	4-Dec-97	561*	1 year & 6 months
Twelfth	7-Mar-98	10-Mar-98	23-Mar-98	22-Mar-03	26-Apr-99	399*	1 year & 1 month
Thirteenth	4-Oct-99	10-Oct-99	20-Oct-99	19-Oct-04	6-Feb-04	1570*	4 years & 4 months

स्रोत— पी. आई. बी

एक राष्ट्र, एक चुनाव से विकसित भारत के लिए संभावित लाभ— इस पहल का प्रमुख उद्देश्य देश की सभी विधानसभाओं और लोकसभा के चुनावों की बारंबारता को रोकना है और चुनाव प्रक्रिया को एक साथ कराए जाए ताकि प्रशासनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग हो और सरकारों को पूरे कार्यकाल के लिए नीतिगत स्थिरता मिल सके। यह व्यवस्था भारत को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर ले जाने में एक मील का पत्थर सिद्ध हो सकती है।

आर्थिक बचत और संसाधनों का कुशल उपयोग : भारत में प्रत्येक चुनाव के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों को अरबों रुपये का निवेश करना पड़ता है। चुनाव प्रचार, सुरक्षा बलों की तैनाती, प्रशासनिक कर्मचारियों का भुगतान, मतदान केंद्रों की व्यवस्था आदि पर भारी खर्च किया जाता। यदि सभी चुनाव देश में एक साथ आयोजित कराए जाएं तो चुनाव में होने वाला व्यय 40% से 50% तक कम हो सकता है। चुनाव आयोग, राजनीतिक दलों और सरकारी मशीनों पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ को काफी हद तक काम कर सकता है। जिससे परिणामस्वरूप बची हुई राशि को देश के अन्य विकास योजनाओं में लगाया जा सकता जो की भारत को विकसित भारत बनाने में एक अहम भूमिका है। यह राशि शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कृषि, और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण में लगाई जा सकती है।

उदाहरणस्वरूप 2019 के लोकसभा चुनाव पर लगभग ₹60,000 करोड़ रुपये खर्च किया गया था। यदि लोकसभा व विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाए तो इस खर्च को लगभग आधा किया जा सकता है।

शासन और प्रशासन की कार्यकुशलता : देश में चुनावों की बारंबारता के कारण सरकारी अधिकारी, शिक्षक, और पुलिस बल बार-बार चुनावी ड्यूटी में व्यस्त रहते हैं। इससे सामान्य प्रशासनिक कार्य, विकास योजनाएँ,

और सरकारी सेवाएँ प्रभावित होती हैं। एक साथ चुनाव से प्रशासन को केवल एक ही बार चुनावी ड्यूटी करनी होगी, जिससे बाकी समय विकास कार्यों में लगा रहे। इससे शासन प्रणाली में अधिक कुशलता और उत्तरदायित्व बना रहेगा।

आचार संहिता से मुक्ति और विकास की निरंतरता : हर चुनाव से पहले आचार संहिता लागू कर दिया जाता हो जाती है जिस कारण सरकारी नीतियाँ, योजनाएँ और फंड आवंटन रुक जाते हैं। जब सालभर देश के अलग-अलग हिस्सों में चुनाव होते रहते हैं, तो यह प्रक्रिया बार-बार दोहराई जाती है। एक राष्ट्र, एक चुनाव के तहत एक साथ चुनाव होने से आचार संहिता बार-बार लागू नहीं होगी, और विकास कार्य बिना बाधा जारी रहेंगे। इससे राष्ट्रीय परियोजनाएँ समय पर पूरी होंगी और जनहित कार्यों की गति बनी रहेगी।

मीडिया और सामाजिक वातावरण में सुधार : हर चुनाव के समय मीडिया का ध्यान केवल राजनीतिक रैलियों, आरोप-प्रत्यारोप और चुनावी प्रचार पर केंद्रित रहता है। एक साथ चुनाव से मीडिया और समाज को विकास, शिक्षा, रोजगार, और पर्यावरण जैसे एक राष्ट्र, एक चुनाव की अवधारणा जितनी आकर्षक और उपयोगी प्रतीत होती है उतना ही इसे लागू करना जटिल भी है। भारत जैसे विस्तृत एवं विविधातापूर्ण और इसकी संघीय विशेषता होने के नाते देश में इसे लागू करने के मार्ग में कई संवैधानिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और व्यावहारिक चुनौतियाँ उपस्थित हैं। इनका विश्लेषण नीचे विस्तृत रूप में किया गया है दीर्घकालिक मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। इससे लोकतांत्रिक संवाद में वृद्धि होगी।

एक राष्ट्र, एक चुनाव की संभावित चुनौतियाँ—

संवैधानिक चुनौतियाँ : भारतीय संविधान लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल को पाँच वर्ष तक सीमित करता है, लेकिन इनका कार्यकाल अलग-अलग समय पर शुरू और समाप्त होता है। यदि देश में सभी चुनाव एक साथ कराए जाएँ, तो इसके लिए संविधान के कई अनुच्छेदों (जैसे अनुच्छेद 83, 85, 172, 174, और 356) में संशोधन करने होंगे। इन संशोधनों के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होगी। यह प्रक्रिया अत्यंत कठिन और समय लेने वाली है। संविधान की धारा 83, 172 आदि में बदलाव की आवश्यकता होगी राज्यों की स्वायत्तता का प्रश्न राज्यों की अलग राजनीतिक स्थिति और समयसीमा को समायोजित करना कठिन होगा।

तकनीकी और लॉजिस्टिक चुनौतियाँ : भारत में चुनावी प्रक्रिया में 90 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं और लगभग 12 लाख मतदान केंद्र स्थापित किए जाते हैं। यदि लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे, तो मतपत्र और ईवीएम की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। लाखों ईवीएम मशीनों की व्यवस्था, रखरखाव, परिवहन और सुरक्षा सुनिश्चित करना देश के लिए एक बड़ा तकनीकी और प्रशासनिक कार्य होगा। इसके लिए चुनाव आयोग को अत्यधिक संसाधन, मानवबल और तकनीकी संरचना की आवश्यकता होगी।

विकसित भारत में इसकी भूमिका— भारत वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है एक ऐसा भारत जो आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और प्रशासनिक रूप से आत्मनिर्भर समृद्ध हो। इस लक्ष्य की

प्राप्ति के लिए शासन प्रणाली में स्थिरता, नीतियों की निरंतरता और संसाधनों का समुचित उपयोग आवश्यक है। एक राष्ट्र, एक चुनाव की नीति इस दिशा में एक मजबूत आधारशिला सिद्ध हो सकती है। यह न केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार लाती है, बल्कि देश के समग्र विकास में अनेक प्रकार से योगदान देती है।

आर्थिक दृष्टि से योगदान : भारत में हर चुनाव पर अरबों रुपये का खर्च किया जाता व्यय है चाहे वह राजनीतिक दलों का प्रचार-प्रसार हो या प्रशासनिक तैयारी, सुरक्षा बलों की तैनाती, मतदान केंद्रों की व्यवस्था आदि। यदि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएँ, तो चुनावी खर्च में 40%-50% तक कमी लाई जा सकती है। इस बचत की राशि को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढाँचा जैसे क्षेत्रों में निवेश किया जा सकता है। इससे विकसित भारत के लिए आवश्यक आर्थिक संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग संभव होगा।

प्रशासनिक स्थिरता और दक्षता : देश में हो रहे लगातार चुनावों के कारण प्रशासनिक तंत्र बार-बार चुनावी ढ्युटी में लगा रहता है। जिससे सामान्य प्रशासनिक कार्य, सरकारी योजनाएँ और जनसेवा गतिविधियाँ प्रभावित होती हैं।

यदि चुनाव एक साथ होंगे, तो प्रशासनिक तंत्र को केवल एक बार चुनाव में लगाना पड़ेगा जिससे शासन की कार्यकुशलता और उत्तरदायित्व बढ़ेगा। सरकारी अधिकारी, शिक्षक और पुलिस बल विकास कार्यों पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। यह व्यवस्था सुशासन, निरंतर नीति-निर्माण को प्रोत्साहित करेगी।

राजनीतिक स्थिरता : भारत में लगातार होने वाले चुनावों से देश में राजनीतिक वातावरण हमेशा चुनावी बना रहता है। हर सरकार अगले चुनाव की सोच में लगी रहती है जिससे दीर्घकालिक नीतियाँ और योजनाएँ प्रभावित होती हैं। एक राष्ट्र, एक चुनाव व्यवस्था से सरकारें पूरे कार्यकाल के दौरान स्थिर रहेंगी। यह राजनीतिक स्थिरता "विकसित भारत" के लिए सबसे आवश्यक शर्तों में से एक है।

विकास कार्यों में निरंतरता : चुनावों के दौरान लागू होने वाली आचार संहिता के कारण विकास कार्यों को अस्थायी रूप से रोकना पड़ता है। जब देश में हर वर्ष चुनाव होते हैं, तो यह प्रक्रिया बार-बार दोहराई जाती है। देश में एक साथ चुनाव से यह बाधा समाप्त होगी और विकास योजनाएँ लगातार चलती रहेंगी। इससे परियोजनाएँ समय पर पूरी होंगी और जनता को समय पर लाभ मिलेगा।

मतदाता जागरूकता और लोकतंत्र की मजबूती : एक राष्ट्र, एक चुनाव से मतदाताओं को बार-बार मतदान की झंझट से मुक्ति मिलेगी। इससे सभी मतदाताओं की चुनावी थकान कम होगी। नागरिक एक ही समय में राष्ट्रीय और राज्य मुद्दों पर सोच-समझकर मतदान कर पाएँगे। इससे लोकतंत्र में जनता की भागीदारी और विश्वास दोनों बढ़ेंगे जो विकसित भारत के लोकतांत्रिक स्तंभ को और मजबूत बनाएंगे।

नीति निर्माण और योजना क्रियान्वयन : देश में लगातार चुनावों के माहौल में सरकारें अल्पकालिक लोकप्रिय नीतियाँ बनाती हैं, जिससे दीर्घकालिक विकास योजनाएँ प्रभावित होती हैं। एकसमान चुनाव से सरकारों को

पूरे पाँच वर्षों का स्थिर समय मिलेगा, जिससे वे दीर्घकालिक विकास योजनाएँ बना सकेंगी। नीति निर्धारण में निरंतरता से राष्ट्रीय विजन विकसित भारत 2047 को साकार करने में मदद मिलेगी।

सामाजिक एकता और राष्ट्रीय भावना : एक राष्ट्र, एक चुनाव से देश के सभी नागरिक एक ही समय में एक साझा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे जिससे लोकतान्त्रिक भावना को बढ़ावा मिलेगा। यह विचार एक भारत, श्रेष्ठ भारत के मंत्र को व्यवहारिक रूप में साकार करेगा।

शासन की दक्षता को बढ़ावा : एकसमान चुनाव विकास परियोजनाओं की निरंतरता सुनिश्चित करेगा, और नीतिगत निर्णयों में राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करेगा। इससे भारत का लोकतंत्र और अधिक प्रभावी और परिणाममुखी बनेगा।

निष्कर्ष – एक राष्ट्र, एक चुनाव केवल चुनावी प्रणाली का सुधार नहीं, बल्कि यह सुशासन, पारदर्शिता और दक्ष प्रशासन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में यह नीति शासन की स्थिरता सुनिश्चित कर सकती है। बार-बार होने वाले चुनावों से जहाँ जनता, प्रशासन और आर्थिक संसाधनों पर बोझ बढ़ता है वहीं एक साथ चुनाव कराने से इन सभी क्षेत्रों में संतुलन और अनुशासन स्थापित किया जा सकता है। यह नीति भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे को और मजबूत बनाएगी क्योंकि इससे सरकारों को अपने कार्यकाल के दौरान नीतिगत निर्णय लेने योजनाओं को लागू करने और दीर्घकालिक विकास परियोजनाओं पर ध्यान देने का पर्याप्त समय मिलेगा। लगातार चुनावी राजनीति से उत्पन्न होने वाली अनिश्चितता समाप्त होगी और विकास-केंद्रित राजनीति को बढ़ावा मिलेगा। यदि यह नीति ठोस रूप से लागू की जाती है, तो भारत न केवल चुनावी प्रक्रिया में समय और ऊर्जा की बचत करेगा, बल्कि एक नए युग में प्रवेश करेगा जहाँ लोकतंत्र और विकास एक साथ आगे बढ़ेंगे। हालांकि इस नीति को लागू करने से पहले संवैधानिक संशोधन, राजनीतिक सहमति और ठोस प्रशासनिक तैयारी आवश्यक है। देश में सभी दलों का सामूहिक सहयोग इस व्यवस्था की सफलता की कुंजी होगी। इसके अतिरिक्त एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा से राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा का स्वरूप भी बदल जाएगा। दल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार जैसे मूलभूत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे क्योंकि चुनाव एक ही समय पर होंगे और हर मतदाता का निर्णय एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में होगा। अंततः एक राष्ट्र, एक चुनाव का सपना विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण का सशक्त आधार बन सकता है। यह न केवल राजनीतिक स्थिरता प्रदान करेगा बल्कि भारत को एक संगठित, सुशासित और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने स्थापित करेगा।

संदर्भ सूची

- 1) <https://legalaffairs.gov.in>
- 2) Parry Geraint et al (1992), Political Participation and Democracy in Britain, Cambridge University Press, Cambridge, ISBN 0521332982
- 3) Dasarathi, Bhuyan, (2007) Role of regional political parties in India, 2007, Mittal publication, New Delhi, India, ISBN 818324-191-3
- 4) Pylee, MV (1998) - Emerging trends of Indian polity, Regency publications, New Delhi, ISBN 81-86030-75-1

- 5) B. Pakem(1999) Coalition politics in North East India-Regency Publication, New Delhi, ISBN 8186030190
- 6) Chanchal Chauhan, 3 years of Narendra Modi Government: Top 34 quotes of Prime Minister Available at <https://www.india.com/news/india/3-of-narendra-modi-government-its-desires-stability-resolution-top-34-quotes-of-prime-minister-2167583/>.
- 7) Express News Service. (2021). BSY says 'One Nation, One Election' will help improve administration. Retrieved from: <https://www.newindianexpress.com/states/karnataka/2021/mar/05/bsy-says-one-nation-one-election-will-help-improve-administration-2272414.html>
- 8) Tawa Lama-Rewal, S.(2009). Studying elections in India: Scientific and political debates. South Asia Multidisciplinary Academic Journal,
- 9) Election Commission of India.(2018).
- 10) "The Functions (Electoral System of India)" <https://eci.gov.in/about/about-eci/the-functions-electoral-system-of-india-r2>
- 11) Sahni, Megha. Legal Service India. One Nation-One Election The Law And The Politics (2019) <http://www.legalserviceindia.com/legal/article-266-one-nation-one-election-the-law-and-the-politics.html>
- 12) Franklin, Mark N. "The dynamics of electoral participation." 2 Comparing democracies(2002)
- 13) Kriesi, Hanspeter. European Union Politics 8,(2007)."The role of European integration in national election campaigns."
- 14) Bennulf, Martin, and Sören Holmberg. 2 Scandinavian Political Studies(1990). "The green breakthrough in Sweden."
- 15) Anderson, M.L. (2000). "Practicing democracy: Elections and political culture in Imperial Germany". Princeton University Press.
- 16) Nooruddin, I., & Chhibber, P. (2008). "Unstable politics: fiscal space and electoral volatility in the Indian States". Comparative Political Studies,
- 17) Palmer, N.D. (1967)."India's fourth general election." Asian Survey
- 18) Suri, K. C. Economic and Political Weekly (2004). "Democracy, economic reforms and election results in India."
- 19) Department of Legal Affairs. (2018). "Simultaneous Elections Report" http://www.lawcommissionofindia.nic.in/reports/Simultaneous_Elections.pdf.
- 20) Cabinet approves the dissolution of the 16th Lok Sabha (2019) <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1572569>
- 21) Department of Legal Affairs.(2018). "Simultaneous Elections Report" http://www.lawcommissionofindia.nic.in/reports/Simultaneous_Election
- 22) <https://www.thehindu.com/news/national/one-nation-one-election/article28073916>.
- 23) Raut. Vinay P. (2020)–Review of Modi government policies since 2014 in Ghuge Sunil Balu and Abhishek Sharma. Sharp Mind Publisher and Distributor, Uttar Pradesh, India, ISBN 9788194773566
- 24) <http://www.eci.gov.in> dated.(09/02/2024)